

MOST URGENT
VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
3RD FLOOR, MSO BUILDING,
ITO, I. P. ESTATE, NEW DELHI

F.11(57)/PWD-II/VSQ/ST-Que.36/Bud. Sess./22/2578-2579 Dated: 25/03/2022

To

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi- 110054.

Sub: - Reply of Legislative Assembly (Starred) Question No. 36 raised by Sh. Abhay Verma, Hon'ble MLA during Budget Session 2022 due for 28.03.2022.

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q.B) Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F. 11(B-1) VI/2020-25/VSS/Question Branch/2885 dated 14/03/2022 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

ANIL BHOLA
Deputy Secretary (PWD)
Govt. of NCT of Delhi
Dy. Secretary (PWD/VS)
New Delhi-110002

F.11(57)/PWD-II/VSQ/ST-Que.36/Bud. Sess./22/2578-2579 Dated: 25/03/2022

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD), 6th Level, A-Wing, Delhi Sectt. New Delhi.

तारांकित प्रश्न संख्या: 36


दिनांक: 28.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री अभय वर्मा।

क्या मंत्री लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे।

क्र०स०	प्रश्न	उत्तर
(क)	विकास मार्ग पर आरंभ कि गए फुटपाथ और नालियां बनाने, और सौंदर्यीकरण परियोजना को रोकने के क्या कारण हैं:	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन है और अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 07.04.2022 है।
(ख)	क्या पूरी परियोजना को रोक दिया गया है अथवा जहां वृक्षों पर प्रभाव पड़ रहा है, उसको ही रोका गया है :	जी हाँ, पूरी परियोजना को ही फिलहाल रोक दिया गया है।
(ग)	क्या विकास मार्ग का क्षेत्र हरित क्षेत्र के अंतर्गत आता है:	वन एवं वन्यजीव विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 1997 में डब्ल्यू.पी.(सी) 202/1995 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों के अनुसार एक ग्रीन बेल्ट है।
(घ)	यदि हां, तो यहां पर मेन रोड, नाले, फुटपाथ, मेट्रो व अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां कैसे संभव हुईं:	जो निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये है उन पर वन विभाग द्वारा कोई आपत्ति इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।
(ङ)	इन कामों को रोकने के कारण उत्पन्न धूल और प्रदूषण की समस्या के निराकारण के लिये उठाए जाने वाले कदम:	नियमित रूप से पानी इत्यादि का छिडकाव किया जाता है।
(च)	विभाग द्वारा इन कामों को रोकने के निर्णय के कारण यहां के निवासियों और दुकानदारों को होने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिये उठाए जाने वाले कदम:	विभाग इस प्रयास में है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली की रोक (stay) को हटाया जा सकें तथा यदि यह रोक (stay) हटती है तो यह कार्य पुनः आरम्भ किया जायेगा।
(छ)	इन कामों को रोके जाने के निर्णय के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग फुटपाथ और नालों की मरम्मत न किये जाने के कारण जिन लोगों के घरों में पानी भर जाता है, उनको राहत प्रदान करने के लिये उठाए जाने वाले कदम: और	कार्यों को करने के दौरान अगर पानी भर जाता है तो उसे निकालने के लिए पंपों का इंतजाम किया गया है।
(ज)	इस समस्या का समाधान कब तक होगा ?	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा लिए गए निर्णय के पश्चात् ही समय सीमा निर्धारित की जा सकेगी।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया जाता है।


 25/3/22
ANIL BHOLA
 Deputy Secretary (PWD)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Secretariat, I. P. Estate
 New Delhi-110002